सत्यमेव जयते

Case No. 441 /2023

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल. सं. NCST/SER-683/DL/32/2022-SSW

डॉ रीटा वशिष्ठ
सचिव
विधायी विभाग
विधि एवं न्याय मंत्रालय, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली -110001 (दिल्ली)
ई मेल: secyoffice-ld@gov.in, दूरभाष:- 23384617

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क केअंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 11.05.2023 को 12:00 बजे** आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:- अनुसूचित जनजाति के अधिकारी की पदोन्नति न किए जाने के संबंध में - श्री अगस्तुस केरकेटटा, अपर विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली का दिनांक 18.11.2022 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ : विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के पत्रांक ए-33013/03/2014-प्रशा. दिनांक 27.03.2023

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **02.05.2023** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

मोहर

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003